

भाग—एक

1.1 विभागीय संरचना

वन विभाग की गतिविधियां मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से संचालित की जाती हैं। विभाग प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक इन शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशानिर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अंतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजना पुनरीक्षण के कार्य का नियंत्रण किया जाता है एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर वन्य प्राणी संवर्धन सुनिश्चित किया जाता है।

1.1.1 मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं

- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- वित्त एवं बजट
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी
- समन्वय
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू-प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विकास अभिकरण
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- नीति विश्लेषण
- आजीविका

1.2 अधीनस्थ कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय)

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क्षेत्रीय इकाइयों का प्रकार	संख्या	इकाइयां
क्षेत्रीय वन वृत्त	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।
अनुसंधान एवं विस्तार	11	बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर, एवं सिवनी।

कार्य आयोजना वृत्त	3	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर
राष्ट्रीय उद्यान	10	कान्हा (मंडला/बालाघाट), बांधवगढ़ (उमरिया/कटनी), पेंच (सिवनी/छिन्दवाड़ा), पन्ना, सतपुड़ा (पचमढ़ी), संजय (सीधी), वन विहार (भोपाल), माधव (शिवपुरी), फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान (डिंडौरी) एवं डायनासौर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग (धार)।
क्षेत्रीय वनमंडल	(व.सं.स्तर के) 18	भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर, छतरपुर, दमोह, देवास, गुना, खण्डवा, नरसिंहपुर, सतना, शिवपुरी, विदिशा, टीकमगढ़, डिण्डौरी, उमरिया, कटनी
	(व.म.अ.स्तर के) 45 कुल 63	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, रायसेन, राजगढ़, ओबेदुल्लागंज, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, दक्षिण छिन्दवाड़ा, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, होशंगाबाद, हरदा, धार, झाबुआ, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेधवा, रीवा, सिंगरौली, सीधी, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, अनूपपुर, अशोक नगर,, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर एवं अलीराजपुर।
उत्पादन वनमंडल एवम् विक्रय इकाई	13	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, बैतूल, रायसेन, छिंदवाड़ा, मण्डला, डिण्डौरी, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, देवास, खण्डवा, हरदा एवं विक्रय वनमण्डल, नई दिल्ली।
वन विद्यालय/वन प्रशिक्षण संस्थान	9	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट, वन विद्यालय शिवपुरी / अमरकंटक / बैतूल / गोविंदगढ़ / झाबुआ, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (सिवनी), इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी, जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला (उमरिया)।

1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

निगम का गठन

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री: मैन-मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर ₹ 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रैल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के मध्य किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी ₹ 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी ₹ 39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान ₹ 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान ₹ 37,93,15,600 है।

निगम का संचालक मंडल

शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य आठ संचालक शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

निगम के प्रमुख उद्देश्य

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

प्रशासनिक स्थापना

दिनांक 31.10.2013 की स्थिति में निगम में स्वीकृत कुल पद 1299 अमले के विरुद्ध कार्यरत अमले की संख्या 916 है।

गतिविधियां एवं उपलब्धियां

सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण करता है। 1976 से 2013 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार रोपण कार्य किया गया है:-

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.	योजना का नाम	उपलब्धियां
	वन विकास निगम की योजनाएं	
1	वर्षा आधारित सागौन रोपण	195340
2	सिंचित सागौन रोपण	533
3	हाई इन पुट सागौन रोपण	983
4	बांस रोपण	23168
5	मिश्रित रोपण	3179
6	12 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	10848
7	13 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	1043

7	कैम्पा योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	10631
	योग	245725
8	बिगड़े वनों के सुधार सह- बांस रोपण(योजना 1996 से समाप्त)	5167
9	बिगड़े बांस वनों का सुधार (योजना 2003 से समाप्त)	13179
	योग	18346
	महायोग	264071
10	केन्द्र प्रवर्तित लघुवनोपज (औषधि पौध सहित) का रोपण (योजना 1996 से समाप्त)	4746
11	केन्द्र प्रवर्तित गैर इमारती वनोपज का संरक्षण एवं विकास (औषधि पौध सहित) (वर्ष 2000 से समाप्त)	1841
12	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सबई सीसल रोपण (योजना 1997 से समाप्त)	1144
	केंद्रीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण योजना (योजना 2008-09 से प्रारंभ)	416 रो. किमी
		550
13	योग	8281 हे. 416 रो.कि.मी.
14	सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम अ. वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास (योजना 1995 से समाप्त) ब. सड़क किनारे वृक्षारोपण (रो.कि.मी.) (योजना 1995 से समाप्त)	90454 334
15	सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण (योजना 1997 से समाप्त)	4287
16	मोहिनी सागर जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य (वर्ष 2008 से समाप्त)	29724
17	महेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (केवल वर्ष 2007 में रोपण)	1158
18	खदानी एवं औद्योगिक संस्थानों के क्षेत्रों पर डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत रोपण	262.68 लाख पौधे
19	जल संसाधन विभाग, शिवपुरी की योजना (केवल वर्ष 2011 में रोपण)	300 हे.



सागौन रोपण क्षेत्र

निगम का लेखा

वर्ष 2011-12 के निगम के लेखे अद्यतन कर दिनांक 09.07.2013 को विधानसभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2012-13 के लेखों का सांविधिक अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2011-12 तक संचित लाभ ₹ 91.37 करोड़ है। निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर वर्ष 2011-12 तक के लिये राज्य शासन को ₹ 2182.91 लाख तथा भारत सरकार को ₹ 103.84 लाख लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया जा चुका है।

निगम के संचालक मंडल की बैठक में वर्ष 2013-14 का बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है:-

क्र.	विवरण	बजट अनुमान (लाख ₹ में)
(अ)	प्रारंभिक बैंक शेष	12625.00
(ब)	प्राप्तियां/आय	
	1. विदोहन से (कर के पश्चात्)	21700.00
	2. डिपाजिट रोपण हेतु प्राप्तियां	793.00
	3. म.प्र. शासन से कमीशन	250.00
	4. विविध आय	1500.00
	5. कैम्पा से अनुदान	1279.00
	6. 13वें वित्त आयोग से अनुदान	235.00
	योग (ब)	25757.00
	योग (अ + ब)	38382.00
(स)	व्यय/भुगतान	
	1. विदोहन व्यय	4240.00
	2. रख-रखाव	800.00
	3. स्थापना व्यय	6730.00
	4. वृक्षारोपण/पुनरूत्पादन व्यय	7200.00
	5. डिपॉजिट रोपण व्यय	589.00
	6. पूंजीगत व्यय	3135.00
	7. अनुसंधान विकास एवं कार्य आयोजना व्यय	110.00
	8. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को भुगतान	25.00
	9. आयकर भुगतान	470.00
	10. म.प्र. शासन/भारत सरकार को लाभांश का भुगतान	600.00
	11. म.प्र. शासन को लीज रेंट का भुगतान	6000.00
	12. अतिरिक्त बजट स्वीकृति	100.00
	योग (1 से 12)	29999.00
(द)	अंतिम बैंक शेष	8383.00
	योग (स + द)	38382.00

वृक्षारोपण की उपलब्धियां

विगत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार वृक्षारोपण किये गये हैं:-

वन विकास निगम द्वारा किये गये वृक्षारोपण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

योजना	2009	2010	2011	2012	2013	योग
सागौन (वर्षा आधारित)	6566	7190	7887	7994	7812	37449
12वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	3262	2213	—	—	—	5475
13वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	—	—	—	—	1043	1043
केंद्रीय पादप बोर्ड, दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण	55	107	221	—	—	383
बांस रोपण	—	1324	1066	10	—	2400
मिश्रित रोपण	—	482	381	126	—	989
कैम्पा से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	—	—	3141	4450	3040	10631
जलसंसाधन विभाग शिवपुरी की योजना	—	—	300	—	—	300
योग	9883	11316	12996	12580	11895	58670
डिपॉजिट वर्क (पौधों की संख्या लाख में)	7.47	6.60	7.04	5.16	6.19	32.46

श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरुष श्रमिकों द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहूल है।

निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है, जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।



सागौन रोपणी